विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर के अवनिर्धारण, राज्य आबकारी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, यात्री तथा माल कर के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, रॉयल्टी आदि के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹ 781.44 करोड़ से ग्रस्त *'यात्री तथा माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण'* पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 30 परिच्छेद समाविष्ट है कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

वर्ष 2012-13 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹14,542.86 करोड़ की तुलना में ₹15,598.14 करोड़ थी। इसमें से 38 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹4,626.17 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,376.88 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 62 *प्रतिशत* विभाज्य संघीय करों (₹2,282.02 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹7,313.07 करोड़) के राज्यांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया।

(परिच्छेद 1.1)

वर्ष 2012-13 के दौरान बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल एवं यात्री कर, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर-भिन्न प्राप्तियों की 241 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 780 मामलों में कुल ₹1023.30 करोड़ का अवनिर्धारण, राजस्व का अल्पोद्ग्रहण उदघाटित हुआ। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 516 मामलों में ₹779.17 करोड़ से अंतर्ग्रस्त अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की। विभागों ने 2012-13 के दौरान विगत वर्ष की लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बंधित 183 मामलों में ₹266.53 करोड़ का संग्रहण किया।

(परिच्छेद 1.11)

II. बिक्री, व्यापार, आदि पर कर / वैट

विभिन्न पद्धतियों को लागू करके निर्धारिती प्राधिकारियों ने अंत स्टॉक पर ₹1.41 करोड़ के निवेश कर क्रेडिट की गलत राशि अनुमत करके 119 निर्धारितियों की कर दायिता का स्थगन किया, जोकि अन्यथा निर्धारण की तिथि पर वसूली योग्य थी तथा इसके परिणामस्वरूप ₹72.30 लाख के ब्याज सहित ₹2.13 करोड़ की निवेश कर क्रेडिट की अधिक राशि अनुमत की गई।

(परिच्छेद 2.3.2)

53 मामलों में खरीददारियों की सूचियों के बिना विवरणियां स्वीकार करने तथा 2006-07 से 2010-11 की कर अवधियों की ऐसी अपूर्ण विवरणियों पर चार साहयक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों द्वारा निवेश कर क्रेडिट की गलत अनुमति के फलस्वरूप ₹4.01 करोड़ की अनियमित अनुमति दी गई।

(परिच्छेद 2.3.4)

एक मामले में दो वर्ष पूर्व जल चुके बताए गए बीजकों के मामले में निर्धारिती प्राधिकारी ने कर बीजकों तथा अनिवार्य क्षतिपूर्ति बंधपत्र के बिना ही निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹3.19 करोड़ की राशि के कर निवेश क्रेडिट की अनियमित अनुमति दी गई।

(परिच्छेद 2.3.6)

तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में अधिनियम के प्रावधानों/माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु संविदाकारों को संभरित किए गए माल के संदर्भ में सकल बिक्री से ₹28.53 करोड़ की कटौती अनुमत की गई थी, जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹2.25 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.4)

दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में 10 व्यापारियों के संदर्भ में 12.50 *प्रतिशत* की सही दर की बजाय चार अथवा पांच *प्रतिशत* की दर पर ₹16.69 करोड़ की बिक्री का निर्धारण किया गया, जिसके फलस्वरूप 2005-06 से 2010-11 की कर अवधियों के ब्याज सहित ₹2.48 करोड़ कर का कम आकलंन किया गया।

(परिच्छेद 2.5.1)

दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों ने औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित 10 औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी इकाइयों में 80 *प्रतिशत* मूल हिमाचलियों को रोजगार प्रदान नहीं किया था, जोकि अनिवार्य था, के लिए ₹279.40 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक *प्रतिशत* के कर की रियायती दर के लिए आवेदन किया था । इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹11.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(परिच्छेद 2.7)

पांच निर्धारिती प्राधिकारियों द्वारा दोषपूर्ण/अपूर्ण/डुप्लीकेट सांविधिक फार्म '**सी**' तथा '**एफ**' स्वीकार करने तथा 23 व्यापारियों को कर की छूट/रियायती दर अनुमत करने के फलस्वरूप ब्याज सहित ₹1.95 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 2.9 तथा 2.12)

III. राज्य आबकारी

एक आसवनी में शीरा से स्पिरिट के कम उत्पादन के फलस्वरूप ₹24.81 लाख के आबकारी शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

(परिच्छेद 3.3.4.2)

पांच सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में तीन मद्यनिर्माणशालाओं तथा/बंधक माल-गोदामों में लाइसेंसधारियों में तैनात आबकारी स्टाफ की 2008-09 तथा 2011-12 के मध्य की अवधियों से सम्बंधित वेतनों की ₹1.53 करोड़ की अदायगी नहीं की थी तथा फलस्वरूप उस सीमा तक शुल्कों की अवसूली हुई।

(परिच्छेद 3.3.6)

IV. स्टांप शुल्क

22 उप पंजीयकों के कार्यालयों में 355 मामलों में *पटवारियों* द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदनों को गलत रूप से तैयार करने तथा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण करने के फलस्वरूप ₹2.56 करोड़ के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.3 तथा 4.4)

दो उप-पंजीयकों के कर्यालयों में 20 मामलों में समाहर्ता/जिला मूल्यांकन समिति द्वारा सम्पत्ति का मूल्यांकन न करने तथा भूमि के वर्गीकरण में परिवर्तन करने के फलस्वरूप ₹24.12 लाख के स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण फीस की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.5 तथा 4.6)

V. वाहन, माल तथा यात्री कर

'यात्री तथा माल कर का उद्ग्रहण तथा संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए जाते हैं:

सभी वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सम्बंधित पंजीयन तथा लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों के मध्य समन्वय का अभाव होने के परिणामस्वरूप 2007-08 से 2011-12 की अवधि में 13,314 वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण नहीं हुआ तथा ₹14.52 करोड़ की राशि के यात्री तथा माल कर की वसूली नहीं हो पाई।

(परिच्छेद 5.3.8.2)

हिमाचल प्रदेश यात्री तथा माल कराधान अधिनियम के अंतर्गत संविदाकारों का पंजीकरण न करने के फलस्वरूप ए0सी0सी0 बरमाना को 4,79,986.75 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर की आपूर्ति पर शास्ति सहित ₹1.01 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 5.3.9.2)

खनन क्षेत्र तथा विनिर्माण इकाइयों के मध्य नाके/पड़ताल चौकियां स्थापित न करने के फलस्वरूप 50,95,231.45 मीट्रिक टन चूना-पत्थर तथा 1,694.71 मीट्रिक टन बाराइटीज़ के परिवहन पर ₹6.77 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का अपवंचन हुआ।

(परिच्छेद 5.3.9.3)

अतिरिक्त माल कर के संग्रहण हेतु सीमेंट कंपनियों को प्राधिकृत करने में विलंब के फलस्वरूप सीमेंट का विनिर्माण करने के लिए खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों को 6,85,26,412.51 मीट्रिक टन चूना-पत्थर तथा 51,86,582.43 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर के परिवहन पर ₹189.08 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(परिच्छेद 5.3.9.4)

451 माल वाहनों का 2001-02 तथा 2008-09 के मध्य की अवधि के दौरान पंजीकरण करने में आबकारी तथा कराधान विभाग द्वारा की गई ढील के फलस्वरूप ₹1.06 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हो पाई।

(परिच्छेद 5.3.10.2 तथा 5.3.10.3)

समयबद्ध ढंग से लंबित बकायों की वसूली करने के लिए कोई प्रणाली विकसित न करने के फलस्वरूप आबकारी विभाग से राज्य परिवहन प्राधिकरण को उनका अंतरण होने के बाद 403 मामलों के संदर्भ में ₹6.49 करोड़ के यात्री कर की वसूली नहीं हो पाई।

(परिच्छेद 5.3.11)

नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के कार्यालयों में विशेष पथ कर की अदायगी न करने के फलस्वरूप ₹14.88 करोड़ के सरकारी देयों की वसूली नहीं हुई।

(परिच्छेद 5.4.1 तथा 5.5)

2010-11 तथा 2011-12 वर्षों से सम्बंधित ₹1.70 करोड़ के सांकेतिक कर तथा प्रवेश कर की न तो 4,031 वाहनों के मालिकों द्वारा अदायगी की गई और न ही 19 पंजीयन तथा लाइसेंस प्राधिकरणों तथा नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा इसकी वसूली ही की गई।

(परिच्छेद 5.6)

VI. वन प्राप्तियां

चार वन मंडलों में क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा समय पर वन अपराधों का पता करने में ढील दिखाने के फलस्वरूप 333.497 घनमीटर खड़े आयतन की इमारती लकड़ी कम जब्त की गई, जिससे ₹94.69 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(परिच्छेद 6.3)

दो वन मंडलों में 2006-07 से 2011-12 वर्षों के दौरान 14.57 *हेक्टेयर* वन भूमि पर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय/ भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना छः सड़कों का निर्माण किया गया, जिसका वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं को पता नहीं चला, जिसके फलस्वरूप पर्यावरणीय हानि, वन भूमि की तोड़-फोड़ तथा बागान का भारी विनाश हुआ/ भारी हानि हुई। यह अपराध निवल वर्तमान मूल्य के संदर्भ में ₹1.23 करोड़ की राजस्व हानि से ग्रस्त था, जोकि अन्यथा गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के अंतरण के सभी मामलों में तथा विभागीय प्रभारों के मामलों में विभाग को देय थे।

(परिच्छेद 6.6)

VII. अन्य कर तथा गैर-कर प्राप्तियां

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ₹493.40 करोड़ का विद्युत शुल्क जमा न करवाने के फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की वसूली नहीं हुई तथा यदि बोर्ड द्वारा देय तिथियों को अदायगियां कर दी गई होती तो सरकार द्वारा जुटाए गए ऋणों पर ₹34.06 करोड़ की न्यूनतम ब्याज देनदारी से बचा जा सकता था।

(परिच्छेद 7.3)

आठ भवन तथा सड़क मंडलों द्वारा ₹1.08 करोड़ की व्यपगत निक्षेपों को सरकारी राजस्व खाते में जमा न करवाने के फलस्वरूप उस सीमा तक राजस्व की न्यूनोक्ति हुई।

(परिच्छेद 7.5)